



इलाहाबाद उच्च न्यायालय
रिट - ए संख्या - 440 सन् 2026

शिवराम सिंह @ शिवराम सिंह शाक्य
याचिकाकर्ता
बनाम
राज्य उत्तर प्रदेश एवं 2 अन्य
प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : नरेंद्र कुमार
प्रतिवादीगण के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. चिकाकर्ता के अधिवक्ता श्री नरेंद्र कुमार तथा राज्य को ओर से उपस्थित स्थायी अधिवक्ता श्री राहुल मालवीय को सुना गया।
2. यद्यपि वर्तमान रिट याचिका दिनांक 30.12.2025 के निलंबन आदेश को निरस्त करने हेतु दायर की गई थी, किन्तु स्थायी अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि उक्त निलंबन आदेश दिनांक 23.01.2026 को निरस्त कर दिया गया है। अतः यह रिट याचिका निरर्थक हो गई है।
3. तदनुसार, रिट याचिका को निरर्थक मानते हुए खारिज किया जाता है।

(विकास बुधवार, न्यायमूर्ति)

जनवरी 28, 2026

राजेश

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"